न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 195/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
माधोसिंह पुत्र केशरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी भटनोखा तहसील मुण्डवा जिला नागौर।		तहसीलदार मुण्डवा।

उपस्थिति :–
1. श्री राधेश्याम सांगवा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांक:08.08.19

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 56/2018 सरकार बनाम माधोसिंह में निर्णय दिनांक 20.07.18 के तहत मौजा भटनोखा के खसरा नं. 431 रकबा 0.03 बीघा गै.मु. रास्ता भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 31.08.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 04.09.18 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार मुण्डवा के प्रकरण सं. 56/18 सरकार बनाम माधोसिंह की पत्रावली की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि तहसीलदार द्वारा एकतरफा मे आदेश निर्णय पारित किया गया था। जिसकी गांव मे चर्चा होने पर अपीलांट ने जाकर पता किया व नकल का आवेदन पेश कर दिनांक 26.07.18 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की तत्पश्चात तहसीलदार से निवेदन किया कि हमने अतिक्रमण हटा लिया है तब तहसीलदार ने कहा कि पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट मंगवा लेता हूँ उसी दिन दिनांक 26.07.18 को पटवारी हल्का ने मौका रिपोर्ट पेश की जिसमे अतिक्रमण हटा लिये जाने की रिपोर्ट पेश की। तत्पश्चात तब तहसीलदार ने कहा कि मै जमानत ले लेता हूँ व पत्रावली मे वापस निर्णय मे आवश्यक संशोधन कर कार्यवाही समाप्त करने का कहा जिससे अपीलांट सहित अन्य व्यक्ति जिनके विरूद्व गलत ढग से निर्णय पारित हुआ तहसीलदार के आश्वासन पर मुगालते मे रहे उन्होने जमानत तो ले ली मगर निर्णय वही रखा इसलिये अब उक्त निर्णय के विरूद्व अपील पेश की। उपरोक्त कारणो से देरी माफ कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाना न्याय संगत है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील कतेई गलत, विधि विरूद्व, व मौके की स्थिति के विपरीत पारित किया गया होने से निरस्तनीय है। चूंकि अपीलांट के विरूद्व इकतरफा मे निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)–आदेशिका दिनांक 2.7.18 को अपीलांट को तलब करने की थी। अपीलांट हाजिर भी हुआ लेकिन अपीलांट के हाजिर होने से पूर्व ही यानि दिनांक 1.7.18 को ही पटवारी हल्का के बयान अपीलांट की गैर मौजूदगी मे लेकर शामिल पत्रावली कर करने का अंकन है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना आनन–फानन मे अपीलांट को केवल मात्र गलत रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमी बताकर सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने के दुराशय से सारी कार्यवाही पटवारी हल्का के अनुचित प्रभाव

अपर कलक्टर, नागौर

के चलते की की गई है तथा छपे छपाये परफरोमा मे मात्र खाली जगह भर कर औपचारिकता पूरी की है। खुलासा निर्णय नही है तथा प्रिन्टेड फार्म पर निर्णय पारित किया है। जो विधि सम्मत निर्णय की तारीफ मे भी नही आता है। इन महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओ के मध्य नजर अपील स्वीकार कर निर्णय जैर अपील स्वीकार कर निर्णय जैर अपील विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–अपीलांट का कथित खसरा नं. 431 गै.मु. रास्ता के किसी भी भू भाग पर न तो पूर्व मे कभी कब्जा/अतिक्रमण रहा है न आज दिन है। अपीलांट से नाराजगी रखने वाले आईदानराम वगैरा ने पटवारी हल्का को अनुचित दबाव व प्रभाव मे लेकर अपीलांट के विरूद्व अतिक्रमण की मिथ्या रिपोर्ट पेश करवायी है। जबकि कथित खसरा नं. 431 के चिपता ही अपीलांट की खातेदारी का खेत खसरा नं. 425 स्थित है तथा रास्ते की तरफ पीढियो पुरानी सीवे माठे आदि कायम है। इसलिये अपीलांट द्वारा कथित रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। इसके अलावा यहां यह तथ्य दर्ज करना भी आवश्यक होगा कि पटवारी हल्का ने मौके पर आकर नाप चोप व निरीक्षण किये बिना ही अपीलांट के विरूद्व मिथ्या रिपोर्ट पेश तहसील कार्यालय मे पेश कर कार्यवाही संचालित करवाई तथा अपीलांट को जवाब व साक्ष्य सबूत के जरिये वास्तविक स्पष्ट करने के अवसर से वंचित रखते हुए व पटवारी के बयान लेकर अपीलांट की पीठ पीछे उसे सुना बिना अपीलांट को सिविल कारावास से दण्डित करने का कठोरतम निर्णय पारित करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। अपीलांट ने सरकारी भूमि पर कब्जा अतिक्रमण नही होने बाबत शपथ पत्र भी पेश किया है।

{2}(IV)–अपीलांट का उसकी खातेदारी की भूमि के अलावा एक इंच भूभाग पर भी कोई कब्जा अतिक्रमण नही है। इसके बावजूद यदि अपीलांट की उपस्थिति मे उसकी खातेदारी भूमि व रास्ते का नाप चोप किया जाता है व रास्ते पर अपीलांट का कोई कब्जा पाया जाता है तो वैसी सूरत मे अपीलांट तुरंत ऐसा कोई कब्जा है तो उसे हटाने को तैयार था, है व रहेगा। इसके अलावा यहां यह तथ्य करना आवश्यक होगा कि कथित रास्ता खसरा नं. 431 व 618/539 पर आईदानराम पुत्र कुभाराम जाति जाट निवासी भटनोखा द्वारा कच्ची पत्थरो की दीवार निकाल कर अतिक्रमण कर लिया था, जिससे रास्ता अवरूद्व हो गया, जिस पर अपीलांट व अन्य पडोसी खातेदारो के खिलाफ झूठा अतिक्रमण कर मुकदमा करवा कर हस्तगत कार्यवाही करवायी है तथा उक्त आईदानराम ने मौके पर से आज भी कब्जा नही हटाया है तथा अपीलांट व अन्य पडोसियो का कब्जा नही होते हुए भी उनके विरूद्व झूठी अतिक्रमण की कार्यवाही करवायी है। अपीलांट व अन्य खातेदारो ने सिविल कोर्ट व राजस्व अपील अधिकारी नागौर के न्यायालय मे भी आईदानराम के खिलाफ पैरवी की थी तथा आईदानराम द्वारा रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को बचाये रखने के लिये जो दावा किया उसे खारिज करवाया। दावा खारिज होने पर उक्त आईदानराम ने अपील पेश की जिसे भी राजस्व अपील अधिकारी ने खारिज कर दी थी, इसके बावजूद हठधर्मितापूर्वक आईदानराम ने कब्जा बनाये रखा है तथा द्वेषतापूर्वक कार्यवाही पटवारी हल्का से मिलावट कर अपीलांट व अन्य शिकायत करने वालो पर दबाव बनाने के लिये करवायी है।

{2}(V)–अपीलांट व अन्य खातेदारो ने अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिये आवेदन पत्र तहसीलदार मुण्डवा के समक्ष पेश किया था, जिस पर तहसीलदार मुण्डवा ने दिनांक 6.4.18 को नाप करने व सीमाज्ञान कराने हेतु पटवारी मुण्डवा ने दिनांक 6.4.18 को नाप करने व सीमाज्ञान कराने हेतु पटवारी हल्का, आरआई हल्का को आदेश दिया जिसकी पालना मे दिनांक 3.5.18 को मौके पर नाप चापे करने आये मगर उन्होने अपीलांट व अन्य खातेदारो को न तो नाप चोप बताया न ही कोई नाप किया। मौखिक रूप से बता दिया कि आपकी खातेदारी की सीमा यहां तक है, मौका रिपोर्ट मे कोई नाप चोप करने का हवाला नही है न ही अपीलांट का रास्ता पर कब्जा/अतिक्रमण होना बताया। यदि अपीलांट का रास्ते पर अतिक्रमण होता तो उस सीमाज्ञान व नाप मे रास्ते पर अतिक्रमण होना व रास्ते की तरफ अपीलांट का बढना अवश्य बताया जाता है जो उक्त रिपोर्ट मे नही बताया है तथा गोलमाल रिपोर्ट तैयार की गयी थी।

{2}(VI)–इस प्रकार अपीलांट का किसी भी सरकारी भूमि या रास्ते के भूभाग पर कोई कब्जा / अतिक्रमण नही है तथा न ही अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है पूर्व के कथित प्रकरण मे अपीलांट की कोई विधिवत सुनवाई नही हुई है न तथाकथित कोई बेदखली हुई थी, उसकी आड मे अपीलांट को गलत रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना गया है। जबकि रास्ते पर कथित आईदानराम वगैरा द्वारा किये गये अतिक्रमण की अपीलांट स्वयं ने शिकायत की है तथा सक्षम न्यायालय मे इस संबंध मे पक्षकार बनकर मामले कन्टेस्ट किये है ऐसी सूरत मे अपीलांट द्वारा रास्ते पर अतिक्रमण करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। अपीलांट के

अपर कलक्टर, नागौर

विरूद्व सारी कार्यवाही दुर्भावनापूर्वक की गई है। ऐसी सूरत मे निर्णय जैर अपील विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है।

{2}(VII)–हस्तगत प्रकरण मे बिना किसी प्रकार की जांच किये व तहसीलदार ने स्वयं के स्तर पर मौका निरीक्षण किये बिना, अपीलांट को जवाबदेही व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना तथा मौके पर रास्ता व अपीलांट की खातेदारी की भूमि का नाप चोप करवाये बिना ही सरसरी तोर पर जल्दबाजी मे निर्णय जैर अपील पारित किया है। जो विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना पारित किया गया होने से निर्णय जैर अपील विधि गैर कानूनी निर्णय है तथा अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(VIII)–उपरोक्त परिस्थितियो मे निर्णय जैर अपील अपास्त कर तहसीलदार की उपस्थिति मे टीम बना कर रास्ते व उसके आस पास के खातेदारो की जमीनो व अपीलांट की खातेदारी की भूमि का नाप चोप करवा कर अपीलांट की मौजूदगी मे सीमाज्ञान करवाये जाने का आदेश दिया जाना प्रकरण की परिस्थितियो अनुसार आवश्यक व न्याय संगत है। यदि ऐसे नाप चोप मे अपीलांट का यदि रास्ते के किसी भू भाग पर कोई कब्जा पाया जायेगा तो अपीलांट उसी वक्त ऐसा कब्जा हटाने को तैयार है व रहेगा। चूंकि अपीलांट की मौजूदगी मे कोई नाप चोप नही किया गया है। अपीलांट की खातेदारी की भूमि की सीवे माठे पीढियो पुरानी माफिक खातेदारी कायम है अपीलांट के खेत के पास रास्ता कभी भी अवरूद्व नही रहा है न ही अपीलांट के विरूद्व किसी ग्रामवासी की ऐसी कोई पूर्व मे शिकायत ही रही है। केवल मात्र उक्त आईदानराम अतिक्रमी ने पटवारी हल्का से झूठी रिपोर्ट करवायी है। अपीलांट के विरूद्व पूर्व मे बेदखली / मौके पर कब्जा हटाने की कोई फर्द पत्रावली मे मौजूद नही है। इसलिये अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण नही माना जा सकता है। इसके बावजूद अपीलांट के विरूद्व मिथ्या कार्यवाही कर सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित किया है। इसलिये आदेश जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा भटनोखा में स्थित गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके भटनोखा के खसरा नंबर 431 रकबा 0.03 बीघा गै.मु. रास्ता भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है, जो सार्वजनिक उपयोगी भूमि होने से नियमन योग्य भी नही है तथा अब आराजी भूमि से अतिक्रमण हटा भी लिया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील के तहत सजा के बिन्दु नरम रूख अपनाया जाना उचित है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील के तहत बेदखली व जुर्माना का आदेश यथावत कायम रखा जाता है। सिविल कारावास की सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलांट ने आराजी भूमि से अतिक्रमण हटा लिया तथा भविष्य में अतिक्रमण नही करने के संबंध में इस आदेश जारी होने के 15 दिवस में अधीनस्थ न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा तथा अधीनस्थ न्यायालय स्वयं मौका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगें कि अपीलांट का भौतिक रूप से अतिक्रमण है अथवा नही। यदि भौतिक रूप से अतिक्रमण पाया जाता है तो सिविल कारावास की सजा यथावत कायम रहेगी।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर